



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक एफ(1)/8(100)आ.उ./पीएडी/विविध/2020

दिनांक 03.05.2020

आदेश

कोविड-19 महामारी के मध्यनजर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 01.05.2020 एवं गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.33 (2) ग्रुप-9/2019 दिनांक 02.05.2020 के द्वारा समस्त प्रदेश में लॉक डाउन दिनांक 17.05.2020 तक बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग के आदेश दिनांक 02.05.2020 के क्रम में मुख्यालय, जयपुर एवं जिला उद्योग केन्द्रों में पदस्थापित कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में निर्देशानुसार निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. मुख्यालय स्तर पर राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा स्तर के सभी अधिकारी लॉकडाउन अवधि में कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होंगे। मुख्यालय के संबंधित प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर एक तिहाई अथवा आवश्यक होने पर अधिक भी अपने स्तर से कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे। शेष कार्मिक वर्क फ्राम होम पर कार्य करेंगे एवं मोबाईल पर उपलब्ध रहेंगे। उप निदेशक (ओएण्डएम) मुख्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार एक तिहाई (33 प्रतिशत) संख्या तक बुलाने हेतु अपने स्तर पर व्यवस्था करेंगे। लॉकडाउन अवधि में किसी प्रकार की मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
2. जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर जिला उद्योग अधिकारी एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारी लॉकडाउन अवधि में कार्यालय में नियमित उपस्थित होंगे। शेष कार्मिक रोटेशन के आधार पर एक तिहाई संख्या में आवश्यकतानुसार संबंधित प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यालय में उपस्थिति देंगे। शेष कार्मिकों को वर्क फ्राम होम पर कार्य करने हेतु निर्देशित करेंगे एवं मोबाईल पर उपलब्ध रहेंगे। लॉकडाउन अवधि में किसी प्रकार की मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

- नोट:-
1. कर्फ्यू वाले इलाकों में स्थित जिला उद्योग केन्द्र/उपकेन्द्र के कार्यालय नहीं खोले जावें।
  2. कर्फ्यू वाले इलाकों/कन्टेनमेण्ट जोन से कार्यालय में आने वाले किसी भी कार्मिक का आगमन निषिद्ध रहेगा। इन इलाकों के कार्मिक कार्यालयाध्यक्ष/जिला प्रभारी के निर्देशानुसार वर्क फ्राम होम पर कार्य करेंगे।
  3. प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेगा एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  4. सभी अधिकारी/कर्मचारी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन्स एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
  5. सभी कार्मिक उपलब्ध वाहन या निजी वाहन से सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर घर से कार्यस्थल तथा कार्यस्थल से घर तक आ जा सकेंगे। पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।
  6. इस दौरान किसी भी बैठक जिसमें 10 से अधिक अधिकारी/कर्मचारी शामिल होने की संभावना हो तो बैठक आयोजित नहीं की जायेगी।
  7. सहरूग्णता वाले व्यक्ति तथा ऐसे माता-पिता जिनके 5 वर्ष की आयु तक की संतान है, वह कार्मिक संबंधित प्रभारी अधिकारी/महाप्रबन्धक की अनुमति के आधार पर वर्क फ्राम होम में रहकर कार्य करेंगे।
  8. कोविड-19 से सुरक्षित एवं बचाव हेतु सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह राज्य सरकार द्वारा राजकोविड इन्फो तथा भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु एप को अपने मोबाईल में डाउनलोड करेंगे तथा कोरोना से बचाव हेतु उसका उपयोग करें।
  9. यदि किसी कार्मिक का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो/खॉंसी,जुकाम,बुखार आदि के लक्षण हो, तो स्वयं ऑफिस छोड़ दें।
  10. कार्यालय में आगुन्तकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

(अविन्द्र लद्दा)

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग




राज्यसभान सरकार  
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक मामिल (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक एफ(1)/8(100)आ.उ./पीएडी/वित्त/2020

दिनांक 03/05/2020

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
4. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/उप केन्द्र, रागरत।
5. निजी सहायक, आयुक्त, उद्योग।

  
3/5/2020  
(एस.एस.शाह)  
संयुक्त निदेशक, उद्योग